भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2142

उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

समग्र शिक्षा अभियान/पीएम श्री के अंतर्गत निधियों का संवितरण

2142. डॉ. शशि थरूर:

एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) को लागू करने पर सहमति जताने के बावजूद सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केरल को 167.94 करोड़ रुपये के अलावा तीसरी और चौथी किस्त की बकाया राशि आवंटित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यदि केरल में पीएम श्री कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया तो राज्य को 978.53 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो केरल में पीएम श्री कार्यक्रम का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ.) क्या सरकार की उत्तर प्रदेश के नगीना लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएम श्री विद्यालय स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) से निर्धारित कमी और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन के लिए सहायता दी जाती है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर वृद्धिशील आधार पर प्रत्येक वर्ष स्कूलों की आवश्यकता और स्कूल

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का आकलन किया जाता है और यह उनकी वाषक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा लगाया जाता है। वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडब्ल्यूपी एंड बी में अनुमोदित निधियों का केन्द्रीय अंश 4 किस्तों में जारी किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, केरल राज्य के लिए, समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक कार्य योजना और बजट में केंद्रीय हिस्से के रूप में 341.69 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे। वित्त वर्ष 2022-23 की अव्ययित शेष राशि को समायोजित करने के बाद केरल राज्य को कुल 141.05 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त जारी की गई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा के तहत केरल राज्य को 118.07 करोड़ रुपये की तीसरी और चौथी किस्त जारी करने के प्रस्ताव को भी मंत्रालय में आईएफडी द्वारा सहमति दी गई थी। तथापि, तीसरी और चौथी किस्त जारी करने के लिए, स्वीकृत आदेश पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन इसे पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका क्योंकि केरल राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 के अंतिम समय तक डीओएसईएल द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद पीएफएमएस पोर्टल पर अपना विरासत डेटा अद्यतित नहीं किया था।

केरल राज्य में पीएफएमएस पर तकनीकी समस्या के कारण, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी और चौथी किस्त जारी नहीं की जा सकी। मानदंडों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में निधि के गैर-आवर्ती घटक अनुमोदित किए गए, लेकिन जिन्हें जारी नहीं किया जा सका, उन्हें अगले वित्त वर्ष में अग्रनयित के रूप में रखा जाता है। तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमोदित निधि के आवर्ती घटक के लिए, केरल राज्य से प्रतिपूर्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। प्रतिपूर्ति प्रस्ताव प्राप्त होने और केरल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने प्रतिपूर्ति के रूप में 153.35 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा + राज्य का हिस्सा) के परिव्यय को अनुमोदित किया, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 92.01 करोड़ रुपये है। वर्ष 2024-25 के परिव्यय में प्रतिपूर्ति राशि को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। तदनुसार, दिनांक 29 मई 2024 को केरल राज्य को एक परिशिष्ट जारी किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष 2023-24 के लिए केरल राज्य को देय निधि का कोई हानि न हो।

(ग) जहां तक 978.53 करोड़ रुपए की हानि होने का संबंध है, इसे इस उत्तर के भाग (ख) में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। देय गैर-आवर्ती निधियों को वित्त वर्ष 2024-25 तक आगे बढ़ाया गया है, जबकि देय आवर्ती निधियों को प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदित किया गया है और वर्ष 2024-25 परिव्यय में शामिल किया गया है।

(घ) 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के रूप में दिनांक 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए, समग्र शिक्षा योजना को नया रूप दिया गया है, तथा आरंभिक बाल देखभाल तथा शिक्षा (ईसीसीई), निपुण भारत को सहायता, सभी स्तरों पर

गुणवत्ता और नवोन्मेष, इक्विटी और समावेशन, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी और डिजिटल पहल आदि जैसे नए उपयों को इस योजना में शामिल किया गया था।
पीएम श्री योजना सितंबर 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ पड़ोस के लिए बेंचमार्क स्कूल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएम श्री योजना के तहत,केविसं/नविसं सहित 34 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई एंड एल), शिक्षा मंत्रालय ने केरल राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तथा सचिव, डीओएसई एंड एल और माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा क्रमशः मुख्य सचिव केरल और केरल राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित विभिन्न पत्राचार द्वारा पीएम श्री योजना को लागू करने का अनुरोध किया गया है। बार-बार अनुरोध के बाद, केरल राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और पीएम श्री योजना को लागू करने का वचन दिया है।

राज्य से समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री योजना दोनों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि दोनों योजनाएं एनईपी 2020 की पहल से संबन्धित हैं तथा पीएम श्री स्कूल अनुकरणीय स्कूल बन जाएंगे जो पड़ोस के अन्य स्कूलों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

(ङ) पीएम श्री योजना के तहत, केंद्र सरकार/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। पीएम श्री योजना के तहत केवीएस/एनवीएस सहित 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 10,858 स्कूलों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 13 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"समग्र शिक्षा अभियान/पीएम श्री के तहत निधियों के संवितरण" के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. शशि थरूर और एडवोकेट चंद्रशेखर द्वारा दिनांक 05.08.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2142 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चयनित पीएम श्री स्कूलों का ब्यौरा है:

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	यूडीआईएसई	स्कूल का नाम	स्कूल श्रेणी
1	बिजनौर	बुधनपुर सेओहरा	9030417001	कम्पोजिट स्कूल बगवाड़ा	उच्च प्राथमिक
2	बिजनौर	बुधनपुर सेओहरा	9030403303	समग्र स्कूल मेवानावाड़ा	उच्च प्राथमिक
3	बिजनौर	धामपुर	9030201301	पी.एस.मिलक जहगीराबाद	प्राथमिक
4	बिजनौर	धामपुर	9030208202	राकिया इंटर कॉलेज कुवड़ी पुरा	सीनियर सेकेंडरी
5	बिजनौर	कीरतपुर	9030703502	समग्र स्कूल सराय एम्मा	उच्च प्राथमिक
6	बिजनौर	कीरतपुर	9030700109	समग्र स्कूल चंडाक तुर्क	उच्च प्राथमिक
7	बिजनौर	नजीबाबाद	9031004702	समग्र विद्यालय सबल पुर बितरा	उच्च प्राथमिक
8	बिजनौर	नजीबाबाद	9031002403	समग्र स्कूल सराय आलम	उच्च प्राथमिक
9	बिजनौर	नेहटौर	9030305203	कम्पोजिट स्कूल नारायण खेरी	उच्च प्राथमिक
10	बिजनौर	नेहटौर	9030306701	पीएस इब्राहिमपुर साडो	प्राथमिक
11	बिजनौर	नूरपुर	9031114702	कम्पोजिट स्कूल झुझला	उच्च प्राथमिक
12	बिजनौर	नूरपुर	9031113601	कम्पोजिट स्कूल छजूपुरा	उच्च प्राथमिक
13	बिजनौर	नूरपुर-नगर पालिका	9031115319	कम्पोजिट स्कूल नूरपुर	उच्च प्राथमिक